

कार्यालय संचालक
संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email- dirfood.cg@gov.in, website- www.fcs.cg.gov.in)

क्रमांक 31 / संचा.-वि.स. / 2026
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 30 / 6 / 2026

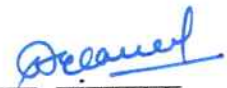
राज्य स्तरीय समन्वयक
छत्तीसगढ़ ऑयल उद्योग
रायपुर

विषय :-विधानसभा प्रश्न क्रमांक 990 तारांकित द्वारा श्री भूपेश बघेल, सदस्य
विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 990 तारांकित की प्रति
संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी
'यूनिकोड फॉन्ट' में) दिनांक 02.07.2026 तक ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड
कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न
विभागीय वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न—उपरोक्तानुसार



सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 10/07/2026

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 17/07/2026 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : उज्ज्वला योजना अंतर्गत स्वीकृत कनेक्शन

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 990) श्रीभूपेश बघेल

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) छत्तीसगढ़ राज्य में 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत दिनांक 15.06.2026 तक कुल कितनी महिलाओं के नाम पर गैस कनेक्शन स्वीकृत हैं? इनमें से सक्रिय, निष्क्रिय तथा फर्जी/ब्लॉक किए गए कनेक्शनों की जिलावार एवं तेल कंपनीवार संख्या कितनी है? (ख) क्या वार्षिक सब्सिडी वाले सिलेंडरों की पात्रता सीमा 12 से घटाकर जून 2026 से मात्र 4 सिलेंडर कर दी गई है? यदि हाँ, तो इस कटौती के नीतिगत व वित्तीय कारण क्या हैं? क्या राज्य सरकार ने केंद्र से इसे बढ़ाने का अनुरोध किया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में राज्य के कितने लाभार्थियों ने एक बार भी सिलेंडर रीफिल नहीं कराया?

उत्तर :

SLC
राज्य स्तरीय समन्वयक